न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 43/2018 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. श्री दिनेश पेडीवाल पुत्र ओमप्रकाश पेडीवाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स ज्योति हॉटल्स (अ. यूनिट ऑफ ज्योति मोटेल्स प्रा.लि.) सूचना केन्द्र के पास, भीलवाडा 2. मैसर्स ज्योति हॉटल्स अ. यूनिट ऑफ ज्योति मोटेल्स प्रा.लि.) सूचना केन्द्र के पास, भीलवाडा
– प्रार्थी		**––विपक्षीगण**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 श्री सुनील मण्डोवरा अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

आदेश

दिनांक 16.12.2019

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी दिनेश पेडीवाल पुत्र ओमप्रकाश पेडीवाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स ज्योति हॉटल्स (अ. यूनिट ऑफ ज्योति मोटेल्स प्रा.लि.) सूचना केन्द्र के पास, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु चीज (प्रोसेस्ड) काम में ले रहा था एवं मौके पर लगभग 3–4 किलो चीज (प्रोसेस्ड) फ्रीज में रखा था। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार चीज (प्रोसेस्ड) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की

छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.07.2018 को समय 02:00 पी.एम.बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु दिनेश पेडीवाल पुत्र ओमप्रकाश पेडीवाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स ज्योति हॉटल्स (अ. यूनिट ऑफ ज्योति मोटेल्स प्रा.लि.) सूचना केन्द्र के पास, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर पर खाद्य विक्रेता/मैनेजर की हैसियत से दिनेश पेडीवाल पुत्र ओमप्रकाश पेडीवाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स ज्योति हॉटल्स (अ. यूनिट ऑफ ज्योति मोटेल्स प्रा.लि.) सूचना केन्द्र के पास, भीलवाडा था एवं आम जनता को चीज (प्रोसेस्ड) उपयोग हेतु विक्रय कर रहा था। विक्रेता/मैनेजर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाईसेंस मांगा गया, जो मौके पर मौजूद था।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में विक्रेता को 280/–रू. नगद देकर 1 किलोग्राम चीज (प्रोसेस्ड) को जांच हेतु खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये गये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एक्स – 535 नाम, पता, वस्तु का नाम, नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./366/एफएसएसए/2018/390 दिनांक 01.08.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, चीज (प्रोसेस्ड) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी दिनेश पेडीवाल पुत्र ओमप्रकाश पेडीवाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स ज्योति हॉटल्स (अ. यूनिट ऑफ ज्योति मोटेल्स प्रा.लि.) सूचना केन्द्र के पास, भीलवाडा द्वारा सबस्टैण्डर्ड चीज (प्रोसेस्ड) का उपयोग हेतु विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य

अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 20.12.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 14.02.2019 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। विपक्षी की ओर से दिनांक 26.08.2019 को जवाब पेश किया गया । उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण का खाद्य नमूना चीज (प्रोसेस्ड) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने चीज (प्रोसेस्ड) में Milk Fat on dry basis **30.86** प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा **40.0** प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षीगणों द्वारा सबस्टेण्डर्ड चीज (प्रोसेस्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नोटिफिकेशन की तारीफ मे नही आता हैं, उसे परिवाद पेश करने का अधिकार नहीं हैं। नोटिफिकेशन के आधार पर भीलवाडा में पदस्थापन होना अथवा भीलवाडा लोकल एरिया के लिए पदस्थापन होना नही माना जा सकता हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी राजस्थान राजपत्र अधिसूचना दिनांक 22.05.2009 जिला अभिहित अधिकारी की नियुक्ति की गयी, ऐसी कोई नियुक्ति की अधिसूचना की प्रमाणित प्रति प्राप्त नही हुयी हैं। खाद्य पदार्थ चीज (प्रोसस्ड चीज) अमूल कंपनी का पैक्ड था और विपक्षी द्वारा अवगत भी कराया गया परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अमूल कंपनी निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया हैं, इस कारण कार्यवाही दुषित हैं। मौके पर आवेदक द्वारा दस्तावेज बाबत् कोई कार्यवाही नही की, सारी कार्यवाही जो की गयी है एक साथ की गयी हैं तथा गवाहन व विपक्षी सं. 01 के हस्ताक्षर एक साथ कराये गये। सैम्पल को साफ सुखे प्लास्टिक की बोतल में रख एवं ढक्कन लगाकर बंद कर पैक किया जो गलत तरीका हैं, क्योंकि प्लास्टिक में पैक किया जो गलत हैं एवं एयर टाइट नहीं माना जा सकता क्योंकि इस बाबत् न तो परिवाद में एवं न ही मौके पंचनामें में इस बाबत् कोई उल्लेख किया हैं। एयर टाईट

नही होने के कारण लिये गये नमूने में नमी आने की प्रबल संभावना बनी रहती हैं और एयरटाईट नही होने के कारण नमूना पियोरटी पर आने की संभावना प्रबल नही रहती हैं। मौके पर स्वतंत्र गवाह को नही बुलाया गया। नमूने की जांच एक्रीकेटेड लेबोरेट्री में कराने की सूचना नही दी गयी। कोड एवं क्रमांक सं. एक्स–535 कहां से प्राप्त की और या सील इंप्रेशन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा काम मे ली गयी उसका अंकन परिवाद में अंकित नही किया हैं। नमूना कांच की शीशी में मौके पर मौतबिरान के समक्ष साफ कर एयर टाईट करना चाहिए जो नहीं किया गया। मौका पंचनामा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी हस्तलिपि में स्पष्ट तौर अंकित किया हैं कि प्रोसेस्ड चीज फ्रीज में रखा 1 किलो प्रोसेस चीज वास्ते जांच खरीदी इसके विपरीत फार्म नं. 5 ए 800 ग्राम चीज को 4 भागों में बांटना केश मेमों 800 ग्राम चीज का भुगतान करना अंकित करते हुये कार्यवाही की गयी जो अपने आप में ही विरोधाभासी होकर मौका पंचनामा प्रथम दृष्टया ही दुषित हैं। मौके पर्चे में अंकित प्रत्येक नमूने में बूंदे फार्मलीन बतौर प्रिजर्वेटिव डालकर एयर टाईट बन्द किया। कितनी बूंदे डाली अंकित नही हैं। सेम्पल जन विश्लेषक के यहां किस तरह से भेजा गया, मिसींग ऑफ लिंकिंग साक्ष्य हैं। जो रसीदें खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गयी उस पर जगदीश पाराशर के हस्ताक्षर नही हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एक्रीकेटेड प्रयोगशाला मे जांच कराने हेतु कोई सूचना नही दी गयी यदि दी जाती तो सूचना की रसीद अवश्य प्रस्तुत की जाती। सूचना विपक्षी को नही दी गयी इस कारण एक्रीकेटेड प्रयोगशाला में नहीं भिजवाने बाबत् आवेदन नही किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एक्रीकेटेड प्रयोगशाला में दुबारा जांच कराने की सूचना नही दिये जाने के कारण वह दुबारा जांच कराने से वंचित रह जाने के कारण विपक्षीगण के अधिकारों का हनन हैं। अमूल कंपनी द्वारा निर्मित चीज (प्रोसेस्ड चीज) पैक्ड नमूने हैं एवं कंपनी का निर्मितशुदा हैं और विपक्षी वारंटी से कवर्ड हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कंपनी से कोई पूछताछ नही की गयी एवं न ही उसे पक्षकार बनाया हैं। इस कारण कार्यवाही दुषित हैं। निवेदन है कि प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./366/एक्ट/2018/390 दिनांक 01.08.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, चीज (प्रोसेस्ड) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने चीज (प्रोसेस्ड) में Milk Fat Content on dry basis 30.86 प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 40.0 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी सं. 01 से लगायत 02 द्वारा सबस्टेण्डर्ड चीज (प्रोसेस्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी सं. 01 से लगायत 02 सबस्टैण्डर्ड चीज (प्रोसेस्ड) का उपयोग हेतु विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी सं. 01 से लगायत 02 द्वारा सबस्टेण्डर्ड चीज (प्रोसेस्ड) का विक्रय किया है जो

कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी सं. 01 से लगायत 02 को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी सं. 01 से लगायत 02 द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 01 से लगायत 02 पर 1,00,000/—रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 01 से लगायत 02 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर

2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा

3. कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा

4. श्री दिनेश पेडीवाल पुत्र ओमप्रकाश पेडीवाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स ज्योति हॉटल्स (अ. यूनिट ऑफ ज्योति मोटेल्स प्रा.लि.) सूचना केन्द्र के पास, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

5. मैसर्स ज्योति हॉटल्स अ. यूनिट ऑफ ज्योति मोटेल्स प्रा.लि.) सूचना केन्द्र के पास, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.16 15:33:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: